

**प्रथम नियुक्ति के समय से अब तक चल-अचल सम्पत्ति विवरण वर्ष (31.12.2017)**

98-34

1. अधिकारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो MANJIT SINGH CHAWLA SPS
2. प्रथम नियुक्ति दिनांक/वर्तमान धारित पद 13/10/2008 Additional S.P.
3. जन्मतिथि 26/11/1981
4. वर्तमान वेतन 15600-39100 अगली वेतन वृद्धि की तारीख 1/7/18

उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थिति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		सम्पत्ति क्रय करने का दिनांक व उसका मूल्य	वर्तमान मूल्य	यदि के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किस के नाम पर धारित है और उसका अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ..... खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसमें अर्जन की गई उसका नाम तथा ब्यौरा
	गृह तथा भूमि अन्य भवन	आवासीय प्लॉट एवं कृषि भूमि	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
① आनंद नगर जिला ग्वालियर	भक्त	आवासीय	1997 में क्रय	45 लाख रु. (लगभग)	श्रीमती जगजीत कौर (माता)	माता द्वारा खरीदकर
② सिद्धी रोड खमती, ग्वालियर	दुकान	आवासीय	2002 में क्रय	13 लाख रु. (लगभग)	श. जिलोका सिंह (पिताजी)	) )
③ आनंद नगर जिला ग्वालियर	दुकान	आवासीय	2008 में क्रय	45 लाख रु. (लगभग)	श्रीमती जगजीत कौर (माता जी)	) )
④ हरदा रोड, खमती, हरदा	गोदाम	आवासीय	1997 में क्रय	75 लाख रु. (लगभग)	श्रीमती जगजीत कौर (माता जी)	पत्नी के पिता द्वारा खरीदकर

यदि विरासत में नहीं है तो शासन सूचना देने/ अनुमति करने दिनांक	यदि विरासत में हो तो उसके लिये बचाये वित्तीय साधनों की पूर्व विवरण, जिससे नगद धन या भेंट ली है तो उसका पूरा पता दिया जाये	9	यदि सम्पत्ति में कोई सुधार/ विस्तार किया गया है तो उसकी लागत एवं वित्तीय साधनों का विवरण	10	क्या सुधार एवं विस्तार के लिये शासन नियमानुसार सूचित किया गया है या अनुमति ली है।	11	सम्पत्ति से वार्षिक आय	12	यदि सम्पत्ति को हस्तांतरित किया गया है तो उसका पूर्ण विवरण	13	अभियुक्ति
8											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट: स्वयं के द्वारा उचित व धारित कर अर्पित नहीं है, कृपया ज्ञात करा जाय अर्पित व धारित है।  
 1. जहाँ लागू न हो उसे काट दीजिए। अभी तक अधिभारित है।  
 2. ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

नाम: हस्ताक्षर 27/3/18  
 भनपति सिंह  
 पद: अतिरिक्त व्यक्ति अधीनस्थ  
 CAW, जलकुंड  
 विभाग: कुटीर, जिला,

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माह की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके किसी परिवार के सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे